माननीय न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल महोदय, कैम्प उज्जैन संभाग उज्जैन (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक– / R-3739-I/12

शंकरलाल पिता श्री डूगाजी जाति प्रजापत, आयु–45 वर्ष, व्यवसाय–खेती, निवासी–सिंगोली, तहसील सिंगोली, जिला नीमच (म.प्र.)

.... निगरानीकर्ता/रेस्पांडेंट

विरुद्ध

1. भूरी बाई पति श्री डूगाजी जाति प्रजापत, उम्र–65 वर्ष धंधा–खेती, निवासी–सिंगोली, तहसील सिगोली, जिला नीमच (म.प्र.)
2. चुन्नीलाल पिता श्री डूगाजी जाति प्रजापत, आयु–36 वर्ष, व्यवसाय–खेती, निवासी–सिंगोली, तहसील सिंगोली, जिला नीमच (म.प्र.)

........प्रत्यर्थीगण/अपीलांट्स

207
14/9/2012

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959

माननीय महोदय,

अधीनस्थ न्यायालय माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय जावद द्वारा प्रकरण क्रमांक 03/अपील/11–12 में पारित आदेश दिनांक 09/08/2012 से दुखित व क्षुब्ध होकर अंदर अवधि निगरानी निम्न अनुसार सादर प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यह कि, प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि स्व. डूंगाजी पिता भुवानसिंह कुमार के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे नंबर 11 रकबा 1.00 हे. जो कि ग्राम सबलपुरा तहसील सिंगोली, जिला नीमच में स्थित थी, उक्त कृषि भूमि को स्व. डूंगाजी ने अपने जीवनकाल में अपने दोनों बेटों शंकरलाल एवं चुन्नीलाल को वर्ष 1992–93 में ही मौखिक बटवारा कर मौके पर रस्सी से नापकर बाट दी थी, जिसमें दोनों पुत्रों की मौजूदगी एवं गवाह कैलाश पिता गंगाराम एवं शंकर गुर्जर व अन्य साक्षियों के समक्ष मौके पर पत्थर गाढ़कर सीमा बनाकर अलग अलग पुत्रों को कृषि भूमि दे दी थी, तब से स्व. डूंगाजी की कृषि भूमि पर दोनों पुत्र काबिज होकर कृषि कार्य करते चले आ रहे हैं। स्व. डूंगाजी ने अपनी संपत्ति में से अपनी पत्नी स्व. भूरी बाई को सोने की रकमें, बोर, बजड़ी, माथलिया, टॉप्स, ढड्ढा आदि आठ दस तोले सोने के आभूषण एवं चांदी के कड़ियां, कंदौरा, चूड़ियां, कड़े, बिछुड़ियां, चांदी का हार करीब 4.5

निरंतर...2.

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3739-एक/12 **जिला** - नीमच

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29.8.18	प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी जावद के प्रकरण क्रमांक 3/अपील/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 09.08.2012 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा सहायक बंदोबस्त अधिकारी नीमच की नामांतरण पंजी क्र. 01 आदेश दिनांक 23.06.98 के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी जावद के समक्ष अपील पेश की गई एवं अपील के साथ धारा-5 का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 09.08.2012 द्वारा धारा-5 का आवेदन स्वीकार किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 2. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अनावेदक क्र. 1 द्वारा धारा-5 के आवेदन में 13 वर्षों के प्रत्येक दिन के विलंब के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 13 वर्ष के विलंब के पश्चान प्रस्तुत अपील को अवधि में मानने में वैधानिक त्रुटि की है इस कारण आलोच्य आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। उनके द्वारा अपने तर्क समर्थन में उच्च न्यायालय के निम्न न्याय दृष्टांत एम.पी.विक्लि. नोट - 2015 (2) नोट -155, एम.पी.विक्लि. नोट - 2014 (1) नोट -63, एम.पी.विक्लि. नोट - 2004 (2) नोट -91, एम.पी.विक्लि. नोट - 2013 (3) नोट -69 एवं एम.पी.विक्लि. नोट - 2000 (1) नोट -55 का हवाला दिया गया है।	

3

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश -3-	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

3. अनावेदक क्र. 1 एवं 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर एवं प्रकरण के समस्त बिन्दुओं पर विचार के उपरांत धारा-5 का आवेदन स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। अत: यह निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

4. उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया एवं आलोच्य आदेश का परिशीलन किया। आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों के तर्कों पर विचार के दौरान धारा-5 अवधि विधान का आवेदन स्वीकार किया गया है जिसमें प्रथम दृष्टया कोई न्यायिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। विलंब क्षमा न्यायालय का विवेकाधिकार है, जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण का निराकरण गुण-दोष पर अभी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष होना है, जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है। उभयपक्ष सूचित हों, अभिलेख वापस हो।

(एम.गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य